

# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक ...../रा०

सेवा में,

महालेखाकार, झारखण्ड,  
पोस्ट-हिनु, राँची।

बोकारो, दिनांक ...../19

विषय:- मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 04.10.2016 के मद संख्या 02 में लिये गये निर्णय के आलोक में ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के तहत जलशोधक संयंत्र निर्माण हेतु बोकारो जिला के अंचल चन्द्रपुरा मौजा-बुढसेरा, थाना न०-109, खाता न०-01, प्लॉट न०-1738 रकबा-2.00 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि का किस्म परती कदीम को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तान्तरण के संबन्ध में।

आदेश-स्वीकृति।

1. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रायोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, उस प्रायोजन हेतु उसकी आवश्यकता नहीं रहने पर अथवा उस प्रायोजन हेतु उसका उपयोग छः माह के अन्दर नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबन्धन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी।
2. अन्य सभी शर्त " इस्टेट मैनुअल" में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

२०१

उपायुक्त,  
बोकारो।

प्रतिलिपि:- ज्ञापांक ...../रा०, दिनांक ...../2019  
अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) को उनके कार्यालय पत्रांक 204/रा०, दिनांक 06.06.2019 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अभिलेख सं०-13/18-19 मूल रूप में अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) को सीधे वापस किया जा रहा है।

अनुलग्नक:-मूल अभिलेख।

२०१

उपायुक्त,  
बोकारो।

प्रतिलिपि:- ज्ञापांक ...../रा०, दिनांक ...../2019  
आयुक्त के सचिव, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व, निबन्धन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सरकार के सचिव, राजस्व, निबन्धन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

२०१

उपायुक्त,  
बोकारो।

प्रतिलिपि:- ज्ञापांक ...../रा०, दिनांक ...../2019  
कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, बेरमो (तेनुघाट) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२०१

उपायुक्त,  
बोकारो।

ज्ञापांक 1281/रा०, दिनांक 12/06/2019